भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
17.03.2021 के
तारांकित प्रश्न सं. 304 का उत्तर

विशेष रेलगाड़ियों का किराया

*304. श्री राम कृपाल यादव:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वर्तमान में चल रही समस्त रेलगाड़ियां विशेष रेलगाड़ियां हैं तथा उनके किराये भी पिछले किरायों की तुलना में अधिक हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समस्त रेलगाड़ियों को पुन: आरंभ करने तथा उनके किराये में कमी करके उसे कोविड-19 वैश्विक महामारी से पहले के स्तर पर लाने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या रेलगाड़ियों में केवल खाने के लिए तैयार (रेडी-टू-ईट) सामान ही बेचा जा रहा है और यदि हां, तो क्या रेलगाड़ियों में खानपान सेवाओं को पूर्ण रूप से पुन: आरंभ करने की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, वाणिज्य एवं उद्‌योग और
उपभोक्ता मामले, खाद्‌य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (च): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

विशेष रेलगाड़ियों के किराए के संबंध में दिनांक 17.03.2021 को लोक सभा में श्री राम कृपाल यादव द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं.304 के भाग (क) से (च) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (घ): कोविड-19 वैश्विक महामारी को फैलने से रोकने के लिए, भारतीय रेल ने 23 मार्च, 2020 से सभी नियमित यात्री गाड़ियां चलाना बंद कर दिया था और राज्य सरकारों की चिंताओं और सुझावों को ध्यान में रखते हुए, इस समय, केवल विशेष रेलगाड़ियां ही चलाई जा रही हैं। सेवाओं की संख्या चरणबद्ध तरीके से बढ़ाई जा रही है और 12.03.2021 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रेल ने कुल 8,474 गाड़ी सेवाओं का परिचालन शुरू कर दिया है, जिसमें 2,328 मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां और 784 यात्री गाड़ियां शामिल हैं।

कोविड-पूर्व समय के दौरान, लंबी दूरी वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलों पर दो प्रकार की गाड़ी सेवाएं चलाई जा रही थीं (i) नियमित समय-सारणीबद्ध गाड़ी सेवाएं और (ii) त्योहारों/व्यस्त मांग अवधि/अति व्यस्त अवधि आदि के दौरान विशेष रेलगाड़ियां। इसके अलावा, तीन प्रकार की विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही थीं (1) साधारण किराए पर द्वितीय श्रेणी अनारक्षित विशेष रेलगाड़ियां (2) साधारण किराए तथा विशेष प्रभारों पर विशेष प्रभारों वाली विशेष रेलगाड़ियां (द्वितीय श्रेणी आरक्षित में 10 प्रतिशत और अन्य श्रेणियों में 30 प्रतिशत, जो निर्धारित अधिकतम और न्यूनतम सीमा के अध्यधीन है) और (3) न्यूनतम तत्काल किराए और तत्काल किराए के अधिकतम तीन गुना किराए पर सुविधा विशेष रेलगाड़ियां। विशेष प्रभारों वाली विशेष रेलगाड़ियां और सुविधा विशेष रेलगाड़ियां दोनों प्रकार की विशेष रेलगाड़ियों के लिए द्वितीय श्रेणी अनारक्षित का किराया साधारण द्वितीय श्रेणी के मेल/एक्सप्रेस सुपरफास्ट किराए के समान था।

कोविड-19 के कारण स्वास्थ्य एडवायज़री को देखते हुए, नियमित गाड़ी सेवाएं नियमित समय-सारणीबद्ध गाड़ी सेवाओं के लिए यथा लागू किराए पर कोविड स्पेशल गाड़ियों के रूप में चलाई जा रही हैं। कोविड वैश्विक महामारी के दौरान चूंकि विभिन्न क्षेत्रों में यात्रियों की मांग एकसमान नहीं है इसलिए विशेष प्रभारों वाली कुछ विशेष रेलगाड़ियां ही शुरू की गई हैं ताकि विभिन्न क्षेत्रों में अतिरिक्त मांग को पूरा किया जा सके, जिनका किराया उक्त (2) के तहत विशेष प्रभारों वाली कुछ विशेष रेलगाड़ियों के लिए प्रकाशित किराए के अनुसार है। इसके अलावा, वैश्विक महामारी को देखते हुए लंबी दूरी वाली मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में अनारक्षित द्वितीय श्रेणी को आरक्षित द्वितीय श्रेणी के रूप में घोषित किया गया है।

(ड.) और (च): वैश्विक महामारी की स्थिति के दौरान यात्रियों को सुरक्षित और स्वास्थ्यकर सेवाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, विशेष रेलगाड़ियों में भुगतान आधार पर केवल रेडी टू ईट भोजन (मील्स), प्रोपराइटरी आर्टिकल डिपो (पीएडी) आइटमों, बोतलबंद पीने के पानी और चाय/कॉफी/पेय पदार्थों का प्रावधान किया गया है।

गाड़ियों में खानपान सेवाएं पेंट्री कारों और ट्रेन साइड वेंडिंग के जरिए मुहैया कराई जाती हैं। इसके अतिरिक्त, गाड़ियों में यात्रियों को ई-खानपान सेवाओं के जरिए उनकी पसंद के भोजन का ऑर्डर देने की सुविधा है और मार्गवर्ती स्टेशनों पर स्थैतिक इकाइयों से भी खाद्य पदार्थ खरीदने की सुविधा उपलब्ध है।

******